

झारखण्ड सरकार  
वन एवं पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

संख्या-3/पर्या0प्रदू0(विविध)-01/2012.....1503...../व0प0 रांची, दिनांक- 20.03.2015


वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना -1583 दिनांक 03.04.2011 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु देय निर्धारित परीक्षण शुल्क निर्धारित की गयी थी।

- वन एवं पर्यावरणीय विभाग की अधिसूचना संख्या 5070 दिनांक 21.12.2013 द्वारा बालू उठाव एवं ईट निर्माण हेतु मिट्टी खुदाई कार्य हेतु पूर्व से निर्धारित दरों की आंशिक रूप से संशोधित करते हुए पुनर्निर्धारित किया गया था।
- राज्य सरकार के द्वारा पुनः बालू उठाव हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निर्धारित परीक्षण शुल्क की समीक्षोपरांत इसे संशोधित करते हुए निम्नांकित रूप से पुनर्निर्धारित की जाती है -

रकबा	पूर्व की निर्धारित दर (रु० में)	संशोधित दर (रु० में)
0.5 एकड़ तक	2,500.00	500.00
0.5 एकड़ से 1.00 एकड़ तक	5,000.00	1,000.00
1.00 एकड़ से 2.5 एकड़ तक	20,000.00	2,000.00
2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक	50,000.00	5,000.00
5 एकड़ से अधिक	1,00,000.00	10,000.00

- वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या-5070 दिनांक 21.12.2013 इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव।